

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू-अर्जन निदेशालय
बिहार, पटना

अधिघोषणा

तारीख:-2012

सं० आर०

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गॉव-सलेया, थाना-62, परगना-कुटुम्बा, थाना-नवीनगर, जिला- औरंगाबाद में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् नवीनगर थर्मल पावर परियोजना (बी०आर०बी०सी०एल०) के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गॉव सलेया के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम-वेश जो 15.70625 एकड़ के बराबर होता है और जिसकी अधिकृत खेसरा सं० एव चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

अधिकृत खेसरा सं०- अंश- 89, 165, 189, 204, 205
पूर्ण- 186, 187

उत्तर:- खेसरा सं० 86, 166, 185, 196, 205

दक्षिण:- खेसरा सं० 91, 186, 187, 189, 196, 202, 205

पूरब:- खेसरा सं० 90, 205, 185, 188, 205, 210,

पश्चिम:- ग्राम सिवाना कजरार्इन, खेसरा सं० 164, 185, 190, 203, 202

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले लिए जायेंगे, यह घोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा 6 और अधिनियम 18,1894 को धारा 3 के खण्ड (1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बंध हो।


भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकेगा।


समाहर्ता 8/12
औरंगाबाद।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
सरकार के अवर सचिव।

कृ०पृ०उ०

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी०डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अधिघोषणा की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, औरंगाबाद को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

✓